


10.03.26

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाम दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अदम-पैरवी व अदम-हाजिरी में इसी स्तर पर स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर